



पुलिस ने दबोचे चार गौकश

कानपुरा थाना घाटमपुर पुलिस ने गौकशी करने वाले चार गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से गोकशी करने का सामान और काटा हुआ मांस बरामद हुआ है।

घटनाक्रम के मुताबिक मोहल्ला पचखुरा मे कुछ व्यक्तियों द्वारा एक गाय को पकड कर उसका वध कर दिया है और उसके मांस के टुकडे टुकडे कर रहे है। इस सूचना पर थाना घाटमपुर पुलिस ने 04 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्तगण के कब्जे से गौकशी करने वाले औजार बरामद हुए। उक्त सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 002/2023 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्तगण को नियमानुसार सम्बन्धित मा0 न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार (नाम/पता) अभियुक्तगण

1. कल्लू पुत्र स्व0 मुबारक उम्र 56 वर्ष निवासी मो0 पचखुरा कस्बा व थाना घाटमपुर कानपुर नगर
2. कपिल पुत्र जमील अहमद उम्र 48 वर्ष निवासी मो0 पचखुरा कस्बा व थाना घाटमपुर कानपुर नगर
3. मोनू पुत्र कपिल उम्र 23 वर्ष निवासी मो0 पचखुरा कस्बा व थाना घाटमपुर कानपुर नगर
4. बाबा उर्फ आरिफ पुत्र मासूक अली उम्र 34 वर्ष निवासी मो0 पचखुरा कस्बा व थाना घाटमपुर कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास

कल्लू उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 002/2023 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम थाना घाटमपुर कानपुर नगर।

कपिल उपरोक्त -

- 1) मु0अ0सं0 874/16 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना घाटमपुर कानपुर नगर।
- 2) मु0अ0सं0 002/2023 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम थाना घाटमपुर कानपुर नगर।

मोनू व बाबा उर्फ आरिफ उपरोक्त -

- 1) मु0अ0सं0 241/17 धारा 323/325 भादवि0 थाना घाटमपुर कानपुर नगर।
- 2) मु0अ0सं0 002/2023 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम थाना घाटमपुर कानपुर नगर।

बरामदगी- गौकशी करने मे प्रयुक्त 03 अदद बडी छुरी, गौकशी करने मे प्रयुक्त 02 अदद छोटी छुरी, गौकशी करने मे प्रयुक्त एक अदद कुल्हाडी बेटीदार, धार लगाने वाली एक अदद सिली, एक अदद आरी का पत्ता, 40 किलो मांस

गिरफ्तारी करने वाली टीम में उ0नि0 राजेश कुमार सिंह, उ0नि0यूटी ललित राजपूत, उ0नि0यूटीसन्दीप सिंह, उ0नि0 यूटी पवन कुमार, का0 राहुल कुमार, का0 अमित तिवारी, का0 आशीष कुमार शामिल रहे।